संख्या-66/2022/2003ई-2/तेरह-2022-248925

प्रेषक,

राजवीर सिंह
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 05 दिसम्बर, 2022

विषय: मे. श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाइड प्रोडक्ट लि., सण्डीला, जनपद-हरदोई को स्वीकृत सम्पूर्ण पेय क्षमता 165.0 लाख लीटर वार्षिक में से 90 प्रतिशत पेय क्षमता तथा 10 प्रतिशत क्षमता औद्योगिक क्षमता निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:-जी-246/दो-प्रा.डी.-166/गंग, दिनांक 10-11-2022 तथा प्रकरण में अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 29-11-2022 में लिए गए निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त संख्या-1990ई-2/तेरह-2022-248925 दिनांक 01-12-2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 10-11-2022 में आप द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मे. श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाइड प्रोडक्ट लि., सण्डीला, जनपद-हरदोई को स्वीकृत सम्पूर्ण अधिष्ठापित पेय क्षमता 165.0 लाख बल्क लीटर वार्षिक में से 90 प्रतिशत पेय क्षमता अर्थात 148.5 लाख बल्क लीटर पेय क्षमता तथा 10 प्रतिशत क्षमता अर्थात् 16.5 लाख बल्क लीटर को औद्योगिक क्षमता निर्धारित किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) आसवनी द्वारा शासनादेश दिनांक 27.10.2016 में उल्लिखित अन्य शर्तों का अक्षरश: अनुपालन करते हुये उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) आसवनी द्वारा उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना)(तेरहवां संशोधन) नियमावली, 2019 के संगत प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) आसवनी द्वारा नियमानुसार भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) ग्रेन से एथनॉल उत्पादन किये जाने हेतु इकाई द्वारा उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों को संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26.03.2021 के प्रस्तर-3(4)(छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा। उक्तानुसार अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

(5) आसवनी द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) आबकारी आयुक्त द्वारा अग्रेतर कार्यवाही करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आसवनी पर राजस्व बकाया नहीं है।

तदनुसार कृपया अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजवीर सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।